फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री भेरूसिंह सोडा पुत्र श्री विजय सिंह सोडा, ग्राम–केलवा, तह0 व जिला राजसमंद

– **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ

– **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 59/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 30.12.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ द्वारा जरिय पत्रांकः– लो0सू0अ0प्रा0/अपील संख्या/2019/2793 दिनांक 09.12.2019 से रिपोर्ट प्रेषित होकर प्राप्त हुई हैं। लो0सू0 अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री भेरूसिंह सोडा पिता श्री विजयसिंह सोडा एच/ओ.के.एल. के गॉव केलवा तहसील व जिला राजसमंद के द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड पत्र के यथा समय सूचित कर दिया गया कि चाही सूचना/ नकल न्यायालय के प्रकरण से संबंधित है अतः आर.टी.आई. (सूचना का अधिकार) के तहत न्यायालय प्रकरण की सूचना/प्रतिलिपि निःशूल्क देय नही है अतः न्यायालय के प्रकरण की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ के पत्रांक लो0सू0अ0प्रा0/अपील संख्या/2019/2793 दिनांक 09.12.2019 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार न्यायालय प्रकरण की सूचना/प्रतिलिपि निःशुल्क देय नहीं है। इस संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ के द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक :– कोर्ट/489, दिनांक 10.10.2019 से सूचित किया गया कि न्यायालय प्रकरण की सूचना/ प्रतिलिपि निःशुल्क देय नहीं होने से अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड कार्यालय कुम्भलगढ़ में कार्यालय समय में उपस्थित होकर नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करें। उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)